न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 43/2019/आवेदन 136 एलआरएक्ट

1. रघुवीर सिंह पुत्र छिगन सिंह जाति राजपूत निवासी रूलाणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–प्रार्थी

ब ना म

1. राज्य सरकार जरियेः तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत रिकॉर्ड दुरूस्ती अं.धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति–

1. श्री सुरेन्द्र सिंह विश्राम, वकील वादी की ओर सें।

नि र्ण य **दिनांक – 30.09.2019**

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 444, 446 किता 2 कुल रकबा 4.07 हैक्टर तन ग्राम रूलाणा पटवार हल्का बनाथला तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/4 कब्जा काश्त है परन्तु उक्त वर्णित कृषि भूमियो में प्रार्थी के पिता का नाम छिगन सिंह के स्थान पर लिछमण सिंह गलत दर्ज है। उक्त भूमियों के पुराने खसरा नम्बर 170 रहे है उक्त भूमियों के पुराने राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2035–38 और संवत् 2038–42 तक प्रार्थी के पिता का सही नाम छिगन सिंह दर्ज है परन्तु सेटलमेन्ट के दौरान मिसल बन्दोबस्त बनाते समय नवीन खसरा नम्बर की जमाबन्दीयों में प्रार्थी के पिता का नाम छिगन सिंह के स्थान पर लिछमण सिंह गलत दर्ज कर दिया गया। उक्त दौरान राजस्व कर्मचारियों की भूमि के कारण सेटलमैन्ट के पश्चात आज तक के भू–राजस्व के रिकॉर्ड यथा जमाबंदी आदि में प्रार्थी के पिता का नाम गलत रूप सें लिछमण सिंह चला आ रहा है जो कि गलत है। ग्राम रूलाणा में ही अवस्थित पर्थी की अन्य भूमियां ख0नं 572, 578, 873, 874 किता 4 कुल रकबा 4.11 हैक्टर तथा कृषि भूमियां खसरा नम्बर 684 सें 687, 731, 731/1229, 731/1260 किता 7 कुल रकबा 6.

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

62 हैक्टर तथा गैर मुमकिन चाह भूमि खसरा नम्बर 729 रकबा 0.02 हैक्टर आदि में प्रार्थी के पिता का ही नाम छिगन सिंह दर्ज है। प्रार्थी के पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड आदि में प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का सही नाम रघुवीर सिंह पुत्र छिगन सिंह दर्ज है। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 444, 446 किता 2 कुल रकबा 4.07 हैक्टर वाके ग्राम रूलाणा तहसील दांतारामगढ में रघुवीर सिंह पुत्र लिछमण सिंह के स्थान पर रघुवीर सिंह पुत्र छिगन सिंह दर्ज किया जावे।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान वादी के अधिवक्ता ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता का नाम संहवन सें छिगन सिंह के स्थान पर लिछमण सिंह दर्ज हुआ है तथा ग्राम रूलाणा में ही अवस्थित प्रार्थी की अन्य भूमियों में प्रार्थी के पिता का सही नाम छिगन सिंह दर्ज है। अतः आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी के पिता का नाम दुरूस्त किया जाकर लिछमण सिंह के स्थान पर छिगन सिंह दर्ज किया जावे।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार "प्रार्थी के पिता का नाम आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड बैंक पासबुक आदि में छिगन सिंह है। ग्राम पंचायत बनाथला के प्रमाण पत्र के आधार पर ग्राम रूलाणा पटवार हल्का बनाथला के खसरा नम्बर 441, 446 किता 2 कुल रकबा 4. 07 हैक्टर में रघुवीर सिंह पुत्र लिछमण सिंह के स्थान पर रघुवीर सिंह पुत्र छिगन सिंह जो जमाबन्दी संवत् 2035–38 के आधार पर दर्ज किया जाना उचित है।" प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र सें स्पष्ट है कि प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः न्यायहित में **प्रार्थी/वादी का आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम रूलाणा पटवार हल्का बनाथला तहसील दांतारामगढ की भूमि खसरा नम्बर 441, 446 किता 2 कुल रकबा 4.07 हैक्टर में प्रार्थी के पिता का नाम दुरूस्त करते हुए रघुवीर सिंह पुत्र लिछमण सिंह के स्थान पर रघुवीर सिंह पुत्र छिगन सिंह दर्ज किये जाने**

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। तदनुसार रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर से कम हो ।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner